No.29018/16/2012-AIS(II) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel & Training) North Block, New Delhi Dated:/7/10/2013 To The Chief Secretaries of all the State Governments and UTs. Subject: Notification regarding Indian Administrative Service (Commutation of Pensions) Amendment Regulations, 2013. Sir/Madam, I am directed to forward herewith a copy of Indian Administrative Service (Commutation of Pensions) Amendment Regulations, 2013 notified in the Gazette of India (extraordinary) vide G.S.R. No. 647(E) dated 20/09/2013, for necessary action. Yours faithfully,

Manoj Kumar Dwivedi

Director(Services)

10: Encls.: As above. Copy for information and necessary action to: 1. All Ministries/Departments of Government of India. 2. NIC, DOPT – with the request to put on this circular on the website (Home page > Gazette Notification > Services & Vigilance > Services Division). Manoj Kumar Dwivedi Director(Services) **2011-23092483** MAO 18 MARO



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485] No. 485] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2013/भाद्र 29, 1935

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2013/BHADRA 29, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 647(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की उप-धारा (1), जिसे धारा 3 की उप-धारा (1ए) के साथ पढ़ा जाए, में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 25 के अनुसरण में भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श के उपरांत अखिल भारतीय सेवाएं (पेंशन का सारांशीकरण) विनियम, 1959 में और संशेधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. (1) इन विनियमों को अखिल भारतीय सेवाएं (पेंशन का सारांशीकरण) संशोधन विनियमों, 2013 कहा जा सकेगा ।
 - (2) ये विनिमय 2 सितम्बर, 2008 से लागू माने जाएंगे ।
- 2. अखिल भारतीय सेवाएं (पेंशन का सारांशीकरण) विनियम, 1959 (इसके बाद इन विनियमों को उक्त विनियम कहा जाएगा) विनियम 3 में --
 - (क) उप-विनियम (1) में -
 - (i) द्वितीय परंतुक को निम्निलिखित परंतुकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 "बशर्ते कि यदि सेवा का कोई सदस्य जनवरी 2006 के प्रथम दिन और सितंबर, 2008 के प्रथम दिन के बीच सेवानिवृत्त हो रहा हो, ने पूर्व-संशोधित वेतनमान का विकल्प दिया हो, तो ऐसे मामले में पेंशन का सारांशीकरण जनवरी, 2006 के प्रथम दिन से पूर्व में लागू नियमों और आदेशों के नियमानुसार देय होगा":

"बशर्त यह भी कि सेवा के वे सदस्य जिनकी पेंशन का सारांशीकरण जनवरी, 2006 के प्रथम दिन अथवा उसके पश्चात् परंतु सितम्बर, 2008 के दूसरे दिन के पूर्व देय हो गया हो, पूर्व संशोधित वेतन अथवा पेंशन के आधार पर पेंशन के सारांशीकरण के भुगतान हेतु पूर्व संशोधित सारांशीकृत मूल्यांकन तालिका को प्रयोग में लाया जाएगा और ऐसे पेंशनभोगियों के संबंध में इन विनियमों के साथ संलग्न पेंशन हेतु सारांशीकृत मूल्यांकन की संशोधित तालिका को भूतलक्षी प्रभाव से वेतन संशोधन तथा पेंशन के लिए सारांशीकरण हेतु देय पेंशन की अतिरिक्त रांशि के सारांशीकरण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा";

- (ख) उप-विनियम (2) हेत्, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएंगा, अर्थात् :-
 - " (2) यदि पेंशन के भाग को सारांशीकृत किया जाना है और उसका परिणाम रुपए का भाग है. तो रुपए के ऐसे भाग को सारांशीकरण के प्रयोजनार्थ नजरअंदाज कर दिया जाएगा"
 - (3) इन विनियमों के विनियम 4क में तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा. नामत:-

"बशर्त यह भी कि यदि सारांशीकृत राशि का भुगतान, पेंशन के उर्ध्वमुखी संशोधन के लिए एक से अधिक अवसरों पर किया गया था तो पेंशन की संबंधित सारांशीकृत राशि को संबंधित तिथि से 15 वर्ष पूरे होने के उपरांत प्नःबहाल कर दिया जाएगा"

(4) इन विंनियमों के विनियम 4क के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"4ख अंतिम पेंशन का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन-सेवा का कोई सदस्य जिसने अपनी अंतिम पेंशन के कुछ प्रतिशत का सारांशीकरण किया हो, और सारांशीकरण के उपरांत उसकी पेंशन संशोधित हो गई हो और सरकार के निर्णय के फलस्वरूप भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ गई हो तो सेवा के सदस्य को बढ़ी हुई पेंशन के संदर्भ में निर्धारित सारांशीकृत मूल्य और पहले से प्राधिकृत सारांशीकृत मूल्य के अंतर का भुगतान किया जाएगा । अंतर के भुगतान हेतु आवेदक को पून: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है;

"वशर्ते कि, ऐसे आवेदक के मामले में जिसने सिविल सर्जन अथवा किसी जिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा फिट घोषित किए जाने के उपरांत अपनी मूल पेंशन का कुछ प्रतिशत सारांशीकृत किया हो, जो छह हजार रुपए से अधिक नहीं है और पेंशन के भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ने के परिणामस्वरूप वह प्रतिमाह छह हजार रुपए से अधिक की राशि को सारांशीकृत करवाने हेतु पात्र हो गया हो तो उसे बिना अन्य चिकित्सा जांच के छह हजार प्रतिमाह का सारांशीकृत मूल्य और मूल वेतन की सारांशीकृत मूल्य के प्रतिशत के मध्य का अंतर देय होगा । छह हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक किसी राशि के सारांशीकरण को नए सारांशीकरण के रूप में लिया जाएगा और तभी दिया जाएगा जब चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच कर ली जाएगी"।

- (5) इन विनियमों के विनियम 5 में, उप विनियम (5) में, टिप्पणी में शब्दों "अथवा भाग" जहां भी कहीं आएँगा उसका लोप कर दिया जाएगा ।
- (6) इन विनियमों के विनियम 7क में, -
 - (क) उप विनियम (1) में "राज्य" शब्द का लोप कर दिया जाएगा:
 - (ख) उप विनियम (3) में निम्निलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, नामतः "बशर्ते कि अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि की अगली तिथि से पेंशन का सारांशीकरण हो जाएगा यदि उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व सारांशीकरण हेतु आवेदन किया है"।

(7) इन विनियमों की अनुसूची ख के लिए निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थपित किया जाएगा, अर्थात्:-

अनुसूची 'ख' एक रूपए प्रतिमाह की पेंशन हेतु सारांशीकृत मूल्यांकन 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी [देखें विनियम 7(2)]

अगले जन्म दिवस पर	खरीदे गए वर्षों की संख्या के रूप में	THE PERSON NAMED IN COMPANY	ार वचा वत		
आयु	अभिट्यक्त सारांशीकृत मूल्य	आयु	अभिव्यक्त सारांशीकृत मूल्य	दिवस पर आयु	अभिव्यक्त
20	9.188	41	9.075	62	सारांशीकृत मूल्य
21	9.187	42	9.059		8.093
22	9.186	43	9.040	63	7.982
23	9.185	44	9.019	64	7.862
24	9.184	45		65	7.731
25	9.183		8.996	66	7.591
26	9.182	46	8.971	67	7.431
27	9.180	47	8.943	68	7.262
28	9.178	48	8.913	69	7.083
29		49	8.881	70	6.897
30	9.176	50	8.346	71	6.703
	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	
36	9.136	57	8.512	78	5.443
37	9.126	58	8.446	79	5.229
8	9.116	59	8.371		5.018
9	9.103	60	8.287	80	4.812
0	9.090	61	8.194	81	4.611

[आधारः एलआईसी (94-96) अंतिम तालिकाएं तथा 8.00% ब्याज]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण यह आवश्यक हो गया है कि जब से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया है उस तिथि से प्रस्तावित संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाए । यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से किसी भी व्यक्ति के हितों को हानि नहीं पहुंचेगी । पेंशन के समस्त सारांशीकरण जो 2 सितम्बर, 2008 से देय हो गई है, के लिए इन नियमों के साथ सलग्न पेंशन के लिए सारांशीकृत मूल्य की संशोधित तालिका का प्रयोग किया जाएगा और उन पेंशनभोगियों के मामले में जिनकी परिपक्व का सारांशीकरण 1 जनवरी, 2006 को अथवा इसके उपरांत परंतु 2 सितम्बर, 2008 से पूर्व देय हो गया हो को पूर्व- संशोधित वेतन अथवा पेंशन पर आधारित पेंशन के सारांशीकरण का भुगतान करने के लिए पूर्व संशोधित पेंशन के सारांशीकृत मूल्य तालिका का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे पेंशनभोगियों के संबंध में इन नियमों के साथ संलग्न पेंशन साराशीकृत मूल्य की संशोधित तालिका का पेंशन की अतिरिक्त राशि के सारांशीकरण जो वेतन और पेंशन के भूतनक्षी संशोधन के परिणाम स्वरूप सारांशीकरण हेतु देय हो गया है, के लिए प्रयोग किया जाएगा ।

इन विनियमों के साथ संलग्न फार्म घ एवं ङ में आने वाले "भाग" शब्द को "प्रतिशतता" द्वारा प्रति:स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 29018/21/2012-एआईएसऽ-॥]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

पाद टिप्पणी:- मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 24.06.1959 के सा.का.नि. संख्या 714 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तदनुसार संशोधित किए गए :-

गए थे आर तदनुसार सरागिता ।		152.8	200200000000000000000000000000000000000
	सा.का.नि. संख्या	तिथि	
क्र. स.	177	20.02.60	
1.	1197	17.09.77	
2.	227(31)	06.04.78	
5.	941	14.07.97	
4.	718	19.12.97	
6.	779(31)	21,11.02	M
0.			

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Personnel and Training) NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2013

G.S.R. 647(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (1A) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance of rule 25 of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, the Central Government, after consultation with the Government of the States concerned, hereby makes the following regulation further to amend the All India Services (Commutation of Pension) Regulations, 1959, namely:-

- (1) These regulations may be called the All India Services (Commutation of Pensions) Amendment
 - (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 2nd September, 2008
- In the All India Services (Commutation of Pension) Regulations, 1959 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, -
 - (a)
- for the second proviso, the following provisos shall be substituted, namely:in sub-regulation (1),-

"Provided further that if a member of the Service retiring between the 1st day of January, 2006 and the 1st day of September, 2008 has opted for retaining the pre-revised scale of pay, the commutation of pension in such case shall be admissible in accordance with the rules and orders in force prior to the 1st day of January, 2006"

"Provided also that for those members of service whose commutation of pension became absolute on or after the 1st day of January, 2006 but before the 2nd day of September, 2008, the pre-revised Table of Commutation Value for Pension shall be used for payment of commutation of Commutation Value for Pension, appended to these regulations shall be used for the commutation of additional amount of pension that has become commutable on account of retrospective revision of pay and pension.";

- (b) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "(2) if fraction of pension is to be commuted results in fraction of a rupee, such fraction of a rupee shall be ignored for the purpose of commutation".
- (3) In regulation 4A of the said regulations, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that when the commutation amount was paid on more than one occasion, on account of upward revision of pension, the respective commuted amount of the pension shall be restored on completion of fifteen years from the respective date."

- (4) After regulation 4A of the said regulations, the following regulation shall be *inserted*, namely:-
 - "4B. Retrospective revision of final pension. -- A member of service who has commuted a percentage of his final pension and after commutation his pension has been revised and enhanced retrospectively as a result of Government's decision, the member of service shall be paid the difference between the commuted value determined with reference to enhanced pension and the commuted value already authorized. For the payment of difference, the applicant shall not be required to apply afresh:

Provided that in the case of an applicant who has commuted a percentage of his original pension not exceeding rupees six thousand after being declared fit by a Civil Surgeon or a District Medical Officer and as a result of retrospective enhancement of pension, he becomes eligible to commute an amount exceeding six thousand rupees per mensem, he shall be allowed the difference between the commuted value of rupees six thousand per mensem and the commuted value of the percentage of the original pension without further medical examination. The commutation of any further amount beyond rupees six thousand per mensem shall be treated as fresh commutation and allowed subject to examination by a Medical Board."

- (5) In regulation 5 of the said regulations, in sub-regulation (5), in the Note, the words "or fraction", wherever they occur, shall be omitted.
- (6) In regulation 7A of the said regulations,-
 - (a) in sub-regulation (1), the word "State" shall be omitted;
 - (b) in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case of retirement on superannuation, the commutation of pension shall become absolute on the date following the date of his retirement if he had applied for commutation before retirement."

(7) For Schedule B of the said regulations, the following Schedule shall be substituted. namely:-

4072 61/13-2

SCHEDULE 'B' Commutation Values For a Pension of Re.1 Per Annum Effective from 1st January, 2006 [See Regulation 7(2)]

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
		41	9.075	62	8.093
20	9.188		9.059	63	7,982
21	9.187	42	9.040	64	7.862
22	9.186	43	9.019	65	7.731
23	9.185	44	8.996	66	7.591
24	9.184	45	8.971	67	7.431
25	9.183	46	8,943	68	7.262
26	9.182	47	8.913	69	7.083
27	9.180	48	8.881	70	6.897
28	9.178	49	8.846	71	6.703
29	9.176	5()		72	6.502
30	9.173	51	8.808	73	6.296
31	9.169	52	8.768	74	6.085
32	9.164	53	8.724	75	5.872
33	9.159	54	8.678	76	5.657
34	9.152	55	8.627	77	5.443
35	9.145	56	8.572	78	5,229
	9.136	57	8.512	79	5.018
36	9.126	58	8.446	80	4.812
38	9.116	59	8.371	81	4.611
	9.103	60	8.287	+ 61	
40	9.090	61	8.194		

[Basis: LIC (94-96) Ultimate Tables and 8.00% interest]

EXPLANATORY MEMORANDUM:

Due to implementation of the recommendation of the Sixth Central Pay Commission, it has become necessary to give retrospective effect to the proposed amendments from the date from which the recommendations of the Sixth Central Pay Commission were given effect to. It is certified that the interest of no person is adversely affected by giving retrospective effect to the proposed amendments.

The revised Table of Commutation Value for pension, appended to these rules shall be used for all commutation of pension which becomes absolute from the 2nd September. 2008 and in the case of pensioners whose commutation of pension became absolute on or after 1st January. 2006 but before 2nd September, 2008, the pre-revised Table of Commutation Value for Pension shall be used for payment of commutation of pension based on pre-revised pay or pension and in respect of such pensioners, the revised Table of Commutation Value for Pension, appended to these rules shall be used for the commutation of additional amount of pension that has become commutable on account of retrospective revision of pay and pension.

8. In Forms D & E appended to these regulations for the word "fraction", wherever it occurs, the word "percentage" shall be *substituted*.

IF.No. 29018/21/2012-AIS-II [

MANOJ KUMAR DWIVEDI. Director (Services)

Foot Note.— The Principal regulations were published in the Gazette of India vide notification G.S.R. No. 714 dated 24-6-1959 and subsequently amended by:-

S.No.	G.S.R. No.	Date	
1.	177	20-02-60	
2.	1197	17-09-77	
3.	227(E)	06-04-78	
4.	941	14-07-97	
5.	718	19-12-97	
6.	779(E)	21-11-02	